तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज **न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम0 3 अजमेर** **सेशन प्रकरण सख्या 07/2022** **सी.आई.एस. 187/2022** **सरकार बनाम मुकन सिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.02.2026	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। मुलजिमान ग्यारसी देवी व महेन्द्र अनुपस्थित, जिनकी दरख्वास्त हाजरी माफी जरिये अधिवक्ता पेश हुई, जो आज पेशी हेतु स्वीकार की जाती है। शेष मुलजिमान मय अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सीधे ही बहस करना चाहा। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता मुलजिमान की ओर से निवेदन किया गया कि प्रकरण में गवाह सूची में गवाह सं. 8 नरेश कुमार को संयोजित किया गया है, जो कि स्वतंत्र गवाह है तथा जिसके सम्बंध में अनुसंधान अधिकारी द्वारा स्वतंत्र गवाह होने बाबत अपनी जिरह में कथन किया गया है। लेकिन अभियोजन द्वारा उक्त गवाह को तर्क कर दिया गया है, जबकि यह महत्वपूर्ण साक्षी है, जिसे बचाव पक्ष अपनी साक्ष्य में तलब करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त गवाह सं. 8 नरेश कुमार को बचाव साक्षी में तलब किया जावे। वहीं दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुये कथन किया गया कि यह अभियोजन का अधिकार है कि वह किस गवाह को पेश करे व किसे नहीं। बचाव पक्ष की ओर से ऐसा कोई स्पष्ट कारण दर्शित नहीं किया गया है कि क्यों उक्त गवाह की साक्ष्य प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक है। केवल मात्र प्रकरण में देरी करने के आशय से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली एवं संबंधित विधिक प्रावधान का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्तमान में बचाव साक्ष्य हेतु नियत है तथा जिस गवाह सं. 8 नरेश कुमार को तलब करवाना चाहा है उसे अभियोजन द्वारा तर्क किया जाना गवाह सूची से दर्शित है। जहां तक विधिक प्रावधानों का प्रश्न है। धारा 311 द.प्र.सं. में प्रावधान है कि– Any Court **may**, at any stage of any inquiry, trial or other proceeding under this Code,	

summon any person as a witness, or examine any person in attendance, though not summoned as a witness, or recall and re-examine any person already examined; and the Court **shall** summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to it to be essential to the just decision of the case.

इस बाबत् माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त उनवानी **2022 SCC Online SC 986 Varsha Garg Vs State of Madhya Pradesh & Other** में पैरा नम्बर 32 व 33 में धारा 311 दं.प्र.सं. के दो हिस्से बताये है, जो माननीय न्यायालय के शब्दों में इस प्रकार है–

32. This power can be exercised at any stage of any inquiry. trial or other proceeding under the CrPC. The latter part of Section 311 states that the Court "shall" summon and examine or recall and re-examine any such person "if his evidence appears to the Court to be essential to the just decision of the case". Section 311 contains a power upon the Court in broad terms. The statutory provision must be read purposively, to achieve the intent of the statute to aid in the discovery of truth.

33. The first part of the statutory provision which uses the expression "may" postulates that the power can be exercised at any stage of an inquiry, trial or other proceeding. The latter part of the provision mandates the recall of a witness by the Court as it uses the expression "shall summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to it to be essential to the just decision of the case". Essentiality of the evidence of the person who is to be examined coupled with the need for the just decision of the case constitute the touchstone which must guide the decision of the Court. The first part of the statutory provision is discretionary while the latter part is obligatory.

इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु किसी गवाह की साक्ष्य लेखबद्ध करवाना आवश्यक समझे तो उसे तलब कर सकता है। प्रकरण में उक्त गवाह चक्षुदर्शी साक्षी के तौर पर होना उसके धारा 161 द.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध बयानों से दर्शित है। उक्त गवाह जो अभियोजन द्वारा तर्क किया गया है जिसे बचाव पक्ष अपनी बचाव में तलब करवाना चाहता है।

जहां तक किसी साक्षी को तलब करने बाबत बचाव पक्ष द्वार निवेदन करने का प्रश्न है। धारा 233(3) द.प्र.सं. में

इस सम्बंध में यह प्रावधान किया गया है कि–

233. प्रतिरक्षा आरंभ करना (1)... (2) ... (3) यदि अभियुक्त किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या चीज पेश करने को विवश करने के लिए कोई आदेशिका जारी करने के लिए आवेदन करता है तो न्यायाधीश ऐसी आदेशिका जारी करेगा जब तक उसका ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह विचार न हो कि आवेदन इस आधार पर नामंजूर कर दिया जाना चाहिए कि बह तंग करने या विलंब करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन से किया गया है।

सुन्दरलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाईनवाले प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विधि में ऐसी कोई भी बाधा नहीं है कि अभियोजन द्वारा गवाह सूची में दर्शित गवाह को बचाव साक्षी के तौर पर तलब नहीं किया जा सकता हो।

उक्त विधिक प्रस्थिति एवं न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में जहां तक हस्तगत प्रकरण का सम्बंध है, हस्तगत प्रकरण में जैसाकि पूर्व में वर्णित किया जा चुका है कि अभियोजन सूची में चक्षुदर्शी साक्षी को अभियोजन द्वारा तर्क किया गया है, जिस गवाह को बचाव पक्ष अपनी साक्ष्य में तलब करने का निवेदन किया गया है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि उत्तम साक्षी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना आवश्यक है, जिससे प्रकरण का न्यायपूर्ण निस्तारण किया जा सके, जिस गवाह को बचाव पक्ष साक्ष्य में तलब करवाना चाहा गया है वह प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाह दर्शित होता है।

अतः बाद गौर उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायोचित प्रतीत होने से बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 311 द.प्र.सं. स्वीकार कर उक्त गवाह सं. 8 नरेश कुमार पुत्र लालचंद को बचाव साक्षी के तौर पर तलब करने का आदेश दिया जाता है।

गवाह को जरिये जमानती वारण्ट 2000 रूपये से तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते बचाव साक्ष्य हेतु दिनांक 11.02.2026 को पेश हो।

(नीरज गुप्ता)
अपर सेशन न्यायाधीश,
क्रम–3 अजमेर

IMRAN

Digitally signed by IMRAN
Date: 2026.02.04 14:19:17 +0530